L. A. BILL No. VI OF 2024.

A BILL

further to amend Dr. Babasaheb Ambedkar Technological University Act, 2014.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक ६ सन् २०२४।

डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१४ में अधिकतर संशोधन करनेसंबंधी विधेयक ।

सन् २०१४ का महा. २९ की धारा ६ में संशोधन।

क्योंकि, इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१४ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; अतः भारत गणराज्य के पचहत्तरवे वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

१. (१) यह अधिनियम डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०२४ कहलाए। संक्षिप्त नाम।

सन् २०१४ का महा. २९ की धारा ६ में संशोधन।

२. डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१४ (जिसे इसमें आगे " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा ६ में, " स्तर अंग्रेजी होगा " शब्दों के पश्चात् " या मराठी " शब्द जोड़े जायेंगे और २० जुलाई २०२३ से जोडे गये है ऐसा समझा जायेगा। सन् २०१४ का महा. २९।

व्यावृति।

३. मूल अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी नियमों, विनियमों, परिनियमों या अध्यादेशों या, यथास्थिति, जारी किसी आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मराठी भाषा में आयोजित कोई उपाधि पाठ्यक्रम, डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०२४ द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अनुसरण में आयोजित किया गया है ऐसा समझा जायेगा। सन् २०२४ का महा.।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य।

डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१४ (सन् २०१४ का महा. २९) की धारा ६ यह उपबंध करती है कि, प्रमाणपत्र स्तर तक के पाठ्यक्रमों के लिए, अनुदेश और परीक्षा का माध्यम मराठी या अंग्रजी हो सकेगा जब कि, प्रमाणपत्र स्तर के बाद के पाठ्यक्रमों के लिए माध्यम अंग्रेजी होगा।

२. राष्टीय शिक्षा नीति (एन ई पी) २०२०, उच्चतर शिक्षा में भारतीय भाषाओं के समावेश पर बल देती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, २०२० के अनुरूप में, उक्त विश्वविद्यालय, ने, अकादमिक वर्ष २०२३-२०२४ से इलेक्ट्रॉनिक और टेलिकम्युनिकेशन प्रौद्योगिकी उपाधि पाठ्यक्रम मराठी भाषा में शुरू किए हैं और परीक्षा का आयोजन भी मराठी में किया है।

३. इसलिए, उक्त विश्वविद्यालय के अनुरोध पर सरकार, यह उपबंध करती कि, उक्त विश्वविद्यालय में प्रमाणपत्र स्तर के बाद के पाठ्यक्रमों के लिए अनुदेश और परीक्षा का माध्यम राष्ट्रीय शिक्षा नीति, २०२० द्वारा मराठी में होगा तथा आवश्यक व्यावृति खण्ड के लिए भी उपबंध करने की दृष्टि से, उक्त अधिनियम की धारा ६ में, संशोधन करना आवश्यक समझती है।

४. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

मुंबई,
दिनांकित २७ फरवरी, २०२४।

चंद्रकांत (दादा) पाटील,
उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा मंत्री।

(यथार्थ अनुवाद),
विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

विधान भवन :
मुंबई,
दिनांकित २७ फरवरी, २०२४।

जितेंद्र भोळे,
सचिव (१) (कार्यभार),
महाराष्ट्र विधानसभा।